राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

कमांक : प.8(ड)(का.भा.)डीएलबी / 23 / 601 **दिनांकः** 26-4-2023

आदेश

श्री शोभा लाल रैगर अध्यक्ष, नगर पालिका, देवगढ को विभागीय आदेश कमांक प. 2(च) (जांच)/डीएलबी/23/1132–1144 दिनांक 21.04.23 द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य के पद से निलम्बित किया गया है। नगर पालिका देवगढ में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1)(i)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिनेश जीनगर सदस्य वार्ड सं.02 को अध्यक्ष नगर पालिका देवगढ के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक की कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव
दिनांकः 26-4-2023

कमांक : प.8(ड)(का.भा.)डीएलबी / 23 / 602 – 614

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत शासन विभाग जयपुर
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त ~~उदयपुर~~/जिला कलेक्टर ~~उदयपुर~~ । राजसमन्द ।
05. निदेशक /अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज. राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 ( ) के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ ।
06. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर ।
07. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर।
08. उपखण्ड अधिकारी, .देवगढ।
09. श्री दिनेश जीनगर वार्ड सं.02 नगर पालिका देवगढ ।
10. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवगढ जिला ~~उदयपुर~~ राजसमन्द
11. प्रोग्रामर (आई टी सैल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु ।
12. सुरक्षित पत्रावली ।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by TapScanner